

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक:- मुसप्र/2024/91

दिनांक:- 24/05/24

कार्यालय आदेश

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर के अधीन सतलुज अपार्टमेंट, सेक्टर-28, प्रताप नगर, जयपुर में उपलब्ध फ्लैटों का ई-सबमिशन (बुधवार नीलामी) बिना छूट के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	फ्लैट संख्या	आय वर्ग	फ्लोर	अपार्टमेंट का नाम
1.	28/ST/L/180	LIG (G+3)	GF	सतलुज अपार्टमेंट
2.	28/ST/L/190	LIG (G+3)	TF	सतलुज अपार्टमेंट
3.	28/ST/L/345	LIG (G+3)	SF	सतलुज अपार्टमेंट
4.	28/ST/L/373	LIG (G+3)	FF	सतलुज अपार्टमेंट

उपरोक्त वर्णित 04 फ्लैट्स को उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर द्वारा की गई अनुशांषा एवं मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी, जो निम्नानुसार है:-

- आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लैट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
- आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर इस तथ्य का प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
- आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
- नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचारार्थ नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
- आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(प्रवीण कुमार अग्रवाल)
मुख्य संपदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- निजी सचिव-मुख्य संपदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-दशम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar

Designation : Chief Estate Officer

Date: 2024.05.23 17:06:22 IST

Reason: Approved

